स्वतंत्रता के प्रकार

Types of liberty

राजनीतिक विज्ञान में स्वतंत्रता के विभिन्न रूप प्रचलित हैं जिनमें कुछ प्रमुख हैं। —

1. **प्राकृतिक स्वतंत्रता (NATURAL liberty) —**

प्राकृतिक स्वतंत्रता का अर्थ मनुष्यों की अपनी इच्छानुसार कार्य करने की स्वतंत्रता से है। मनुष्य जन्म से ही स्वतंत्र होता है। इसी विचार को व्यक्त करते हुए रूसो ने कहा था कि "मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है, किन्तु सर्वत्र वह बंधनों में बंधा हुआ है।" संविदावादी विचारकों का मत है कि राज्य की उत्पत्ति के पूर्व व्यक्तियों को इस प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त थी। प्राकृतिक स्वतंत्रता की इस धारणा के अनुसार स्वतंत्रता प्रकृति प्रदत्त और निरपेक्ष होती है अर्थात समाज या राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को किसी भी प्रकार से

प्रतिबंधित तथा सीमित नहीं कर सकता है।

लेकिन व्यवहार में प्राकृतिक स्वतंत्रता का अर्थ है केवल शक्तिशाली व्यक्तियों की स्वतंत्रता। जिस समाज में स्वतंत्रता का तात्पर्य केवल शक्तिशाली व्यक्तियों की सत्ता से हो वहाँ निर्बलों का कोई जीवन नहीं होगा। सामूहिक हित में स्वतंत्रता को सीमित करना नितांत आवश्यक है।

2). व्यक्तिगत स्वतंत्रता (Personal liberty)

मनुष्य को अपने निजी कार्यों में स्वतंत्रता होनी चाहिए। उसके व्यक्तिगत कार्यों पर केवल समाज हित में ही बंधन लगाए जा सकते हैं। लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों की निजी स्वतंत्रता का बहुत महत्व स्वतंत्रता का रूप है उन्हें अपनी पसंद, विचार, अभिव्यक्ति और मूल्यों के अनुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता होती है। वेशभूषा, खान-पान, रहन-सहन परिवार, धर्म आदि क्षेत्रों में व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। निजी स्वतंत्रता मनुष्य की जीवन शैली से संबंधित है। इसका प्रभाव जैसे ही समाज पर पड़ना आरंभ होता है इस पर नियंत्रण अपेक्षित है।

3). नागरिक स्वतंत्रता (Civil liberty)

नागरिक स्वतंत्रता का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर व अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए। नागरिक स्वतंत्रता कभी भी असीमित तथा निरंकुश नहीं हो सकती है। नागरिक स्वतंत्रता के दो प्रकार हैं -

1). शासन के विरुद्ध व्यक्ति की स्वतंत्रता।
2). व्यक्ति की व्यक्ति और व्यक्तियों के समुदाय से स्वतंत्रता।

शासन के विरुद्ध व्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों तथा अन्य किसी तरह से व्यक्ति को प्रदान की जाती है। समुदाय से स्वतंत्रता मनुष्य के वे अधिकार हैं जिन्हें वह राज्य के विभिन्न समुदायों के विरुद्ध प्राप्त करता है।